



# श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand 249 199

Ref: 1406 /SDSUV/RO/Affi.-2014-15

Date: 21/02/2015.

## कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय 6 की धारा 33(1) के अधीन निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ-3 में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि (सत्र-2014-15) के लिए नवीन अस्थाई समबद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:-

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कोर (COER) स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, रुड़की वर्धमानपुरम, रुड़की, हरिद्वार।	बी0बी0ए0 बी0सी0ए0 बी0कॉम0(सी0एफ0ए0)	60 सीट 60 सीट 60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014-15	कुलाधिपति सचिवालय दिनांक-14 जनवरी 2015 के पत्रांक-3263/जी0एस0/शिक्षा/A11-67/2015,
2.	आशादेई डिग्री कॉलेज, भोगपुर, हरिद्वार।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र)	प्रत्येक विषय में 60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014-15	कुलाधिपति सचिवालय दिनांक- 13 जनवरी, 2015 के पत्रांक-3239/जी0एस0/शिक्षा/A11-68/2015,
		बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	रसायन के अतिरिक्त प्रत्येक विषय में 60 सीट एवं रसायन में 120 सीट		
3.	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्रा0 मतलबपुर, रुड़की, हरिद्वार।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र)	प्रत्येक में 40 सीट	शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु	कुलाधिपति सचिवालय दिनांक- 16 जनवरी 2015 के पत्रांक- 3309/जी0एस0/शिक्षा/A11-101/2014,
		बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, व कम्प्यूटर विज्ञान)	प्रत्येक में 60 सीट		
		बी0कॉम	60 सीटें		

- सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही शैक्षणिक सत्र 2014-15 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- संस्थान को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।